

वन विभाग, हरियाणा सरकार  
कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, क्षेत्रीय मण्डल, गुरुग्राम  
वन परिसर, सोहना रोड, नजदीक न्यायालय परिसर, गुरुग्राम, दूरभाष-0124-2322057

क्रमांक: 908-67

दिनांक: 24/07/24

प्रेषित:


NCRTC 311 A&B, 3<sup>rd</sup> Floor  
JMD Pacific Square, Sector-15.  
Part-II, Gurugram

विषय:- Diversion of 13.0367 Ha. of forest land for Implementation of Delhi - Gurugram RRTS Corridor Delhi to SNB 106.5 km. 16 no. Station- Sarai Kale Khan, INA, Munirka, Aerocity, Udyog Vihar, Sector-17, Rajiv Chowk, Kherki Daula, Manesar, Panchgaon, Bilaspur, Dharuhera, MBIR, Rewari (Proposal No. FP/HR/RAIL/43886/2020)

सन्दर्भ:- आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक 116 दिनांक 22.02.2024 तथा इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 291-G दिनांक 06.05.2024

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको पुनः अवगत करवाया जाता है कि प्रस्तावित केस में आप द्वारा पुनः एरिया रिवाइज किया गया जिसके निरन्तर में इस कार्यालय द्वारा भी Part II पुनः रिवाइज किया जाना है। प्रस्तावित केस में एरिया रिवाइज करने पूर्व प्रतिपूर्ति पौधारोपण वन मण्डल मोरनी (पिंजौर) में किया जाना था परन्तु उक्त साईट को हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता नहीं दी गई तथा फरीदाबाद मण्डल में 1370 एकड़ लैंड बैंक बारे भी हरियाणा सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त भूमि पौधारोपण हेतु उपयुक्त नहीं है।

वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम, 2023 के अनुसार आपके प्रस्ताव में डाईवर्ट करवाई जाने वाली भूमि के बदले भूमि दी जानी बनती है। आपके सन्दर्भांकित पत्र द्वारा प्रतिपूर्ति पौधारोपण भूमि हेतु, किए गए अनुरोध पत्र को इस कार्यालय द्वारा नोडल ऑफिसर (FCA) तथा अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल को अग्रसित किया गया। जिसके निरन्तर में उच्चाधिकारियों द्वारा प्रयोक्ता एजेन्सी से NFL Identify करने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः आपको लिखा जाता है कि डाईवर्ट करवाई जाने वाली भूमि के बदले समकक्ष गैर वानिकी भूमि या वन संरक्षण एवं संवर्धन नियम, 2023 के अनुसार भूमि उपलब्ध करवाये ताकि प्रस्ताव को उच्चाधिकारियों को भेजा जा सके।

  
उप वन संरक्षक,  
गुड़गांव।

पृ0 क्रमांक 209-10-5  
एक प्रति निम्न को:-

दिनांक 24/07/24

1. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0) हरियाणा, पंचकूला को उनके पत्र क्रमांक D-III-9991/497 दिनांक 23.05.2024 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
2. अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल, गुड़गांव को उनके पत्र क्रमांक D-III-28/2021/594 दिनांक 21.05.2024 सूचनार्थ प्रेषित है।

  
उप वन संरक्षक,

924/user agencyletter